कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।

पत्रांक :- 5349 /15-1, दिनांक, इलाहाबाद, मई, 14 2018।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- गेल इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना 24"/36" नेचुरल गैस पाईप लाईन झांसी-औरैया-फूलपुर के निर्माण्ण हेतु झांसी, उरई, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं इलाहाबाद वन प्रभागों में प्रभावित कुल 2.064771643 (इलाहाबाद वन प्रभाग में प्रभावित कुल 0.019365हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 05 वृक्षों का पातन) के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 1538 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/09/77/2017/909, दिनांक 16-03-2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद ने अपने पत्रांक 5767/15, दिनांक 08-05-2018 विषयांकित प्रकरण में उठायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण/आख्या/अभिलेख निम्न प्रकार इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है :-

बिन्दु संख्या	आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	2	3
1	प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत FRA 2006 प्रमाण-पत्र का प्रारूप/कथन सही नही है।	संशोधित FRA 2006 प्रमाण-पत्र संलग्न है।
2	राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव के भाग-2 में वृक्षों/पौधों की संख्या में विसंगति का निस्तारण किया जाये।	प्रस्ताव के भाग-2 में वृक्षों/पौधों की संख्या में विसंगति का निस्तारण कर दिया गया है।
3	इन त्रुटियों हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। प्रकरण में किसी भी प्रकार के विलम्ब के लिये राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।	-

अतः संशोधित आख्या/अभिलेख संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया प्रस्ताव स्वीकृति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक :- यथोपरि।(03 प्रतियों में)

भवदीय,

(राम कुमार)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।

संख्या :-5349 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वरिष्ठ प्रबन्धक (निर्माण) गेल इण्डिया लिमिटेड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राम कुमार)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।